



दिनांक 28.04.2021

प्रेस विज्ञप्ति 28/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी

- पुलिस कार्यवाही में एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत्यु
- 01 अवैध पिस्टल, जीवित/खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 28.04.2021 को थाना सरायलखंसी, चिरैयाकोट, मुहम्मदाबाद व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वहदग्राम भंवरेपुर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जो पुलिस टीम के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, आरक्षी के बुलटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश घायल हो गया, जिसकी शिनाख्त एक लाख रू० पुरस्कार घोषित अभियुक्त लालू उर्फ विनोद के रूप में हुई। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सको द्वारा लालू उर्फ विनोद को मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, जीवित/खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि मृतक अभियुक्त शातिर किस्म का हिस्ट्रीशीटर था, जिसके विरुद्ध जनपद मऊ, आजमगढ, जौनपुर, मिरजापुर के विभिन्न थानो पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, एन०डी०पी०एस० एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि गम्भीर धाराओं के 84 अभियोग पंजीकृत है। मृतक अभियुक्त लालू उर्फ विनोद थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत मु०अ०सं०-14/2019 धारा 147/148/

149/506/507/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट, मु0अ0सं0-232/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृतक:-

1-लालू उर्फ विनोद निवासी डोडापुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

बरामदगी:-

1-01 अवैध पिस्टल, जीवित/खोखा कारतूस।

2-01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-24

• 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी के 16 लैपटॉप, 38 मॉनिटर, 20 कीबोर्ड, 10 हार्ड डिस्क, 5 डीवीआर, 32 चाबियाँ

- घटना में प्रयुक्त 03 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 28.04.2021 को थाना सेक्टर-24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मानस अस्पताल के पास से 02 शातिर अभियुक्तों 1-राजवीर उर्फ राजू, 2-अवधेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 16 लैपटॉप, 38 मॉनीटर, 20 कीबोर्ड, 10 हार्ड डिस्क, 5 डीवीआर, 32 चाबियाँ, घटना में प्रयुक्त 03 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, अभियुक्त राजवीर उर्फ राजू के विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद गाजियाबाद, एवं दिल्ली व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, अपहरण, आर्म्स एक्ट

आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त अवधेश के विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की कई चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजवीर उर्फ राजू निवासी मील कालोनी कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं हालपता फ्लैट नं0 404 सफाया 3 सोसाईटी सेक्टर 104 थाना सेक्टर-39 नोएडा।

2—अवधेश निवासी सारक थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद हालपता बहरामपुर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 16 लैपटॉप, 38 मॉनीटर, 20 कीबोर्ड, 10 हार्ड डिस्क, 5 डीवीआर, 32 चाबियाँ आदि।

2—घटना में प्रयुक्त 03 चार पहिया वाहन।

जनपद देवरिया / थाना खुखुन्दू

- 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 11 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 01 कुन्तल 15 किलोग्राम अवैध गांजा
- 01 बोलेरो वाहन बरामद

दिनांक 27.04.2021 को थाना खुखुन्दू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुसैला चौराहा से 03 मादक पदार्थ तस्करो 1—अर्जुन 2—विन्ध्याचल 3—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 01कुन्तल 15 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 बोलेरो वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में खुखुन्दू पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अर्जुन निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना पुरुषोत्तमपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।
- 2—विन्ध्याचल निवासी कोइर पट्टी थाना ठकरहा जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।
- 3—अभियुक्ता।

बरामदगी

- 1—लगभग 11 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 01 कुन्तल 15 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 2—01 बोलेरो वाहन।

जनपद अलीगढ़ / थाना कार्सी

• शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 28.04.2021 को थाना कार्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना ग्राम इस्लामाबाद भट्टा से अभियुक्त अनस उर्फ अन्नू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अलीगढ़ के थाना कार्सी पर लूट, चोरी व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कार्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-462 /2021 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना कार्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त —:

- 1—अनस उर्फ अन्नू निवासी इस्लामबाद भट्टा थाना कार्सी जनपद अलीगढ़।